



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

महत्वपूर्ण-सूचना


शैक्षिक सत्र 2020-21 नौवीं से बारहवीं के अस्थाई मान्यता प्राप्त एवं नौवी एवं ग्याहरवीं के राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमेंट/पंजीकरण हेतु तिथियां बढ़ाने बारे ।

हरियाणा राज्य के सभी नौवीं से बारहवीं के अस्थाई मान्यता प्राप्त एवं नौवी एवं ग्याहरवीं के राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के एनरोलमेंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑन-लाईन दर्ज की जानी हैं। इसके लिए हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/- रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों से प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं एवं 11वीं के छात्रों को 50रु प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क अतिरिक्त जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट शुल्क कक्षा नौवीं व दसवीं के लिए ICICI एवं ग्याहरवीं एवं बारहवीं के लिए IDBI बैंक द्वारा गेटवे पेमेंट के माध्यम से लिया जाना है। छात्रों के फोटो स्कूल ड्रैस में होने चाहिए। एनरोलमेंट रिटर्न ऑन लाईन तिथियां निम्न प्रकार से हैं:-

1000/-रु विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियां
05.02.2021 से 11.02.2021	12.02.2021 से 19.02.2021

अतः सभी सम्बन्धित संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न के आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क (ऑन-लाईन) सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें । कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों की एनरोलमेंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 01664-254603 तथा मो0 नं0 7206497088 या सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664-244171 से 176 Ext. 164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हैल्पलाईन ई-मेल bsehenrollment.in@gmail.com एवं asenr@bseh.org.in पर ई-मेल भेजी जा सकती हैं।

इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं एनरोलमेंट रिटर्न बारे लिंक www.bsehenrollment.in बोर्ड की वेबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं ।


सहायक सचिव (एनरोलमेंट)
कृते : सचिव